[2020] 4 एस. सी. आर 156

पटेल इंजीनियरिंग लिमिटेड।

वी.

उत्तर पूर्वी विद्युत शक्ति

निगम लिमिटेड। (निपको)

(विशेष अनुमति याचिका (सी) सं। 3584-3585 2020 का)

22 मई, 2020

[आर. भानुमति, इंदु मल्होत्रा

ए. एन. ए. एन. ए. आर. यू. डी. एच. बोस, जे. जे.]

मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996। 34 और 37-प्रतिवादी-नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड।

(नीपको) ने तीन आवेदन यू/एस दायर किए। 34 अधिनियम, 1996 के तहत दिनांकित 29.03.2016 के तीन मध्यस्थता पुरस्कारों को चुनौती दी गई -

अतिरिक्त उपायुक्त (न्यायिक) ने दिनांक 27.04.2018 के सामान्य फैसले के माध्यम से आवेदनों को खारिज कर दिया और तीनों को बरकरार रखा।

मध्यस्थता पुरस्कार प्रत्यर्थी-एन. ई. ई. पी. सी. ओ. ने यू/एस. में अपील दायर की। 37 अधिनियम, 1996 के उच्च न्यायालय के समक्ष और उन्हें 26.02.2019 दिनांकित निर्णय और 27.04.2018 दिनांकित निर्णय द्वारा अनुमति दी गई थी

अतिरिक्त उपायुक्त द्वारा पारित याचिका को दरकिनार कर दिया गया-पीड़ित, याचिकाकर्ता ने विशेष अनुमति याचिकाओं को प्राथमिकता दी, जिन्हें खारिज कर दिया गया-एसएलपी को खारिज करने के बाद, याचिकाकर्ता ने इस आधार पर उच्च न्यायालय के समक्ष समीक्षा याचिकाएं दायर कीं कि

उच्च न्यायालय के दिनांक 26.02.2019 के फैसले में रिकॉर्ड के सामने स्पष्ट त्रुटि थी-उक्त समीक्षा याचिकाओं को उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 10.10.2019 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया था-अपील पर अभिनिर्धारित किया गयाः तत्काल मामले में, उच्च न्यायालय ने अपने दिनांकित 26.02.2019 के फैसले में एसोसिएटेड बिल्डर्स में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विस्तार से उल्लेख किया है और सही निष्कर्ष पर पहुंचा है कि

मध्यस्थता पुरस्कार को यू/एस द्वारा अलग रखा जा सकता है। 34 , यदि यह स्पष्ट रूप से अवैध या विकृत है-उच्च न्यायालय का यह निष्कर्ष सांगयोंग इंजीनियरिंग में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के अनुरूप था-उच्च न्यायालय ने माना कि कोई भी उचित व्यक्ति इस पर नहीं पहुंच सकता था

के खंड 2.7 और 3.4 की व्याख्या करते हुए विभिन्न निष्कर्ष

बी. ओ. क्यू. और अनुबंध की शर्तों के खंड 32 (ii) (ए) 33 (iii) मामले का निर्णय इस आधार पर किया गया था कि मध्यस्थता पुरस्कार एक विकृत पुरस्कार है और सभी शर्तों और शर्तों के समग्र अध्ययन पर है।

अनुबंध की शर्तें, मध्यस्थ द्वारा लिया गया दृष्टिकोण नहीं है

यहां तक कि एक संभावित दृष्टिकोण-उच्च न्यायालय का दृष्टिकोण गलत था इस प्रकार, उच्च न्यायालय ने दिनांक 10.10.2019 के विवादित आदेश की समीक्षा याचिकाओं को सही ढंग से खारिज कर दिया-परिणामस्वरूप, सभी विशेष I याचिकाओं को खारिज कर दिया जाता है।

सांगयोंग इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी

सीमित वी। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई)

(2019) 15 एससीसी 131: [2019] 7 एससीआर 522; एसोसिएट

बिल्डर्स वी। दिल्ली विकास प्राधिकरण (2015) 3 एससीसी 49 ; [2014] 13 एस. सी. आर. 895-पर निर्भर।

बुसा ओवरसीज एंड प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड और एक अन्य वी। भारत संघ और दूसरा (2016) 4 एस. सी. सी.

696 [2016] 1 एससीआर 266; दुर्गा शंकर मेहता बनाम।

ठाकुर रघुराज सिंह और अन्य [1955] 1 एस. सी. आर. 267;

शंकर मोतीराम नाले बनाम। शिओलालिंग गैनुसिंग राजपूत (1994) 2 एस. सी. सी. 753; थुंगभद्र इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम।

द्वारा प्रतिनिधित्व की गई आंध्र प्रदेश सरकार

वाणिज्यिक कर उपायुक्त, अनंतपुर

[1964] 5 एस. सी. आर. 174; तेल और प्राकृतिक गैस निगम

लिमिटेड वी. सॉ पाइप्स लिमिटेड (2003) 5 एससीसी 705: [2003] 3

एस. सी. आर. 691; ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड v. पश्चिमी

गेको इंटरनेशनल लिमिटेड (2014) 9 एससीसी 263: [2014]

12 एस. सी. आर. 1; एच. आर. डी. निगम (मार्कस ऑयल एंड

रासायनिक प्रभाग) v. गेल (इंडिया) लिमिटेड (2018) 12 एससीसी 471: [2017] 11 एस. सी. आर. 857; नियंत्रण बोर्ड

भारत में क्रिकेट बनाम कोच्चि क्रिकेट प्राइवेट लिमिटेड और

अन्य (2018) 6 एस. सी. सी. 287: [2018] 2 एससीआर 829

संदर्भित किया गया।

मामला कानून संदर्भ

[2016] 1 एससीआर 266

पै

रा 8

संदर्भित किया गया है

[1955] 1 एससीआर 267

पै

रा 8

संदर्भित किया गया है

(1994) 2 एस. सी. सी. 753

पै

रा 8

संदर्भित किया गया है

[1964] 5 एससीआर 174

संदर्भित किया गया है

पै

रा 10

[2003] 3 एससीआर 691

संदर्भित किया गया है

पै

रा 13

[2014] 12 एससीआर 1

संदर्भित किया गया है

पै

रा 13

[2017] 11 एससीआर 857

संदर्भित किया गया है

पैरा

13 [2020] 4 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2019] 7 एससीआर 522

उस पर भरोसा करें

पै

रा 13

[2018] 2 एससीआर 829

संदर्भित किया गया है

पै

रा 15

[2014] 13 एससीआर 895

उस पर भरोसा करें

पै

रा 17

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः विशेष अवकाश याचिका

(सिविल) सं। 3584-3585 2020 से।

उच्च न्यायालय के 10.10.2019 दिनांकित निर्णय और आदेश से

2019 की समीक्षा याचिका संख्या 16 और एम. सी. में शिलांग में मेघालय सरकार

(समीक्षा याचिका) क्रमशः 2019 की सं. 14।

के साथ विशेष

अनुमति याचिका (सिविल) सं। 3438-3439 , 3434-3435 2020 से।

तुषार मेहता, एस. जी., हरीश साल्वे, नीरज किशन कौल, हुजेफा

अहमदी, वरिष्ठ अधिवक्ता। , सैयद जाफर आलम, केतन गौर, आशीष भान, राजेंद्र डांगवाल, मोहित रोहतगी, आयुष मित्रुका, दीपक जोशी, सुश्री लिज़ मैथ्यू, अधिवक्ता। उपस्थित दलों के लिए।

न्यायालय का निम्नलिखित आदेश पारित किया गया थाः

आदेश

1. ये विशेष अनुमति याचिकाएं विवादित आदेश से उत्पन्न होती हैं।

मेघालय उच्च न्यायालय द्वारा शिलांग में पारित दिनांक 2 और जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ता द्वारा दायर समीक्षा याचिकाओं पर विचार करने से इनकार कर दिया, जिसमें मध्यस्थता अपील 4 और 5 में 2018 के निर्णय और आदेश की समीक्षा की मांग की गई थी, इस आधार पर कि समीक्षा के लिए कोई आधार नहीं बनाया गया है और समीक्षा के लिए आवेदन दायर करने में देरी हो रही है।

2. हमने श्री हरीश साल्वे और श्री नीरज किशन कौल को सुना है,

याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील। प्रतिवादी की ओर से, हमने श्री तुषार मेहता, विद्वान सॉलिसिटर को सुना है।

जनरल और श्री हुज़ेफ़ा अहमदी ने कुछ समय तक वरिष्ठ वकील के रूप में काम किया, यहां तक कि प्रवेश के समय भी।

3. विद्वान एकमात्र मध्यस्थ ने दिनांकित मध्यस्थता पुरस्कार पारित कर दिया है।

29.03.2016 पैकेज के संबंध में-I निम्नलिखित रूप में धारण करता हैः

" ऊपर दिए गए अपने निष्कर्षों के आधार पर, मुझे इसमें कोई संकोच नहीं है।

विचार किए गए निष्कर्ष पर आते हुए कि अनुबंध स्वयं

मद संख्या में अतिरिक्त लीड के भुगतान के लिए दर (ओं) प्रदान करता है। 2.7

और सतह और भूमिगत संरचनाओं के लिए बी. ओ. ओ. का पी. ए. टी. ई. एल. इंजीनियरिंग लिमिटेड।

वी. नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (नीपको)

क्रमशः। मान लीजिए कि सामग्री को दावेदार के पक्ष में कार्य के पुरस्कार के समय की परिकल्पना की तुलना में बहुत लंबे समय तक ले जाया गया था। यह पक्षकारों का एक स्वीकृत मामला भी है कि दावेदार अतिरिक्त लीड के लिए अतिरिक्त भुगतान का हकदार है। एकमात्र मुद्दा यह है कि क्या खंड 33 (ii) (a) या खंड 33 (iii) परिवहन के लिए देय दर निर्धारित करने के लिए लागू होगा। अपने निष्कर्षों को देखते हुए, मुझे यह मानने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि अतिरिक्त लीड का भुगतान

खंड 33 (ii) (a) के अनुसार निर्धारित किया जाना है

वह वस्तु जो पहले से ही उपलब्ध है अनुबंध।

इसलिए, मैं संदर्भ का उत्तर इस प्रकार देता हूँः

रेत के परिवहन के लिए अतिरिक्त सीसे की दर और

काम के लिए सरकार द्वारा स्वीकृत खदानों से बोल्डर

पैकेज के लिए स्थान-I के. ए. एच. ई. पी. के तहत काम करता है, यह भाग-III के खंड 33 (ii) (ए), खंड-I, अनुबंध समझौते की पुस्तक-II के अनुबंध की शर्तों No.NEEPCO/ईडी/के संदर्भ में तय किया जाएगा। क्यू. पी./सी. एंड पी./आर./सी./के. ए. एच. ई. पी./560 का 2004-05 दिनांक 17.12.2004। "

इसी तरह के घोषणात्मक मध्यस्थ पुरस्कार दिनांक 29.03.2016 थे

4. उत्तरदाता-नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एन. ई. ई. पी. सी. ओ.) ने अतिरिक्त उपायुक्त के समक्ष मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 34 के तहत तीन आवेदन दायर किए (न्यायिक), शिलांग ने पैकेज-I, II और III के संबंध में दिनांकित 29.03.2016 के तीन मध्यस्थता पुरस्कारों को चुनौती दी। अतिरिक्त उपायुक्त

(न्यायिक) दिनांकित सामान्य निर्णय 27.04.2018 द्वारा खारिज कर दिया गया अधिनियम की धारा 34 के तहत आवेदन और तीनों मध्यस्थता पुरस्कारों को बरकरार रखा। प्रतिवादी-नीपको ने धारा 37 के तहत तीन अपील दायर की

मध्यस्थता अपील सं. (ओं) में उच्च न्यायालय के समक्ष अधिनियम। 3 , 4 और 2018 का 5. दिनांक 26.02.2019 के सामान्य निर्णय द्वारा, उच्च न्यायालय ने प्रतिवादी की अपीलों को स्वीकार कर लिया और अतिरिक्त उपायुक्त (न्यायिक) द्वारा पारित दिनांक 27.04.2018 के सामान्य निर्णय को दरकिनार कर दिया। 5. दिनांकित 26.02.2019 के सामान्य निर्णय से व्यथित होकर, याचिकाकर्ता ने [2020] 4 एस. सी. आर. में सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विशेष अनुमति याचिकाओं को प्राथमिकता दी।

विषयों को। 6. एसएलपी को खारिज करने के बाद, याचिकाकर्ता ने इस आधार पर उच्च न्यायालय के समक्ष समीक्षा याचिका दायर की कि उच्च न्यायालय का निर्णय

दिनांक 26.02.2019 अभिलेख के सामने स्पष्ट त्रुटि से ग्रस्त है क्योंकि इसने 2015 के संशोधन अधिनियम द्वारा मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 में किए गए संशोधनों को ध्यान में नहीं रखा था। उक्त समीक्षा याचिकाओं को उच्च न्यायालय द्वारा विवादित आदेशों के माध्यम से खारिज कर दिया गया।

7. हमने स्वीकार करने के समय मामले को कुछ समय तक सुना और पक्षों की ओर से उपस्थित विद्वान वकील की दलीलों और दोनों पक्षों द्वारा दिए गए निर्णयों और उच्च न्यायालय के दिनांकित 26.02.2019 के फैसले और रिकॉर्ड पर अन्य सामग्रियों पर सावधानीपूर्वक विचार किया।

8. याचिकाकर्ता के लिए विद्वान वरिष्ठ वकील का तर्क है कि 19.07.2019 दिनांकित आदेश के माध्यम से पहले के SLP की बर्खास्तगी एक गैर-कानूनी है। बोलने का आदेश और गुण-दोष पर नहीं और इसलिए समीक्षा याचिका दायर करने के लिए कोई आपत्ति नहीं ली जा सकती थी। दुर्गा शंकर मेहता 2 में बुसा ओवरसीज 1 और संविधान पीठ के फैसलों पर भरोसा करते हुए, यह प्रस्तुत किया गया कि संविधान का अनुच्छेद 136 सर्वोच्च न्यायालय को विशेष या अवशिष्ट शक्तियां प्रदान करता है जो संविधान के बाहर प्रयोग की जा सकती हैं।

उन मामलों में सामान्य कानूनों का दायरा जहां न्याय की आवश्यकताएं सर्वोच्च न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप की मांग करती हैं। यह प्रस्तुत किया गया था कि बुसा ओवरसीज 3 के पैराग्राफ (30) में, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि हालांकि शंकर मोतीराम नाले में निर्णय ने विदेशी मुद्रा संहिता के आदेश 47 नियम 7 का उल्लेख किया है।

सिविल प्रक्रिया समीक्षा को अस्वीकार करने वाले अदालत के आदेश के खिलाफ अपील को रोकती है, यह समझ में नहीं आता है कि अदालत ने सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों का सहारा लेकर संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत पूर्ण अधिकार क्षेत्र में कटौती की है।

1 1 बुसा ओवरसीज एंड प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड और एक अन्य v. भारत संघ और एक अन्य (2016) 4 एस. सी. सी. 696 2 दुर्गा शंकर मेहता बनाम। ठाकुर रघुराज सिंह और अन्य (1955) 1 एससीआर 267 3 बुसा ओवरसीज एंड प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड और एक अन्य बनाम। भारत संघ और एक अन्य (2016) 4 एस. सी. सी. 696

4 शंकर मोतीराम नाले बनाम। शिओलालसिंग गैनुसिंग राजपूत (1994) 2 एस. सी. सी. 753 पटेल इंजीनियरिंग लिमिटेड।

वी. नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (नीपको)

9. विद्वान सॉलिसिटर जनरल श्री तुषार मेहता ने भी इस पर भरोसा किया

बुसा ओवरसीज ने तर्क दिया कि फैसले की समीक्षा के लिए आवेदन को खारिज करने के आदेश के खिलाफ अपील विचारणीय नहीं है और ऐसी अपील मुख्य फैसले के खिलाफ नहीं है। अपने तर्क के समर्थन में, विद्वान सॉलिसिटर जनरल ने पैराग्राफ (22) पर भरोसा रखा है, जो

यह नीचे लिखा हैः

" 22. हाल ही में संध्या एजुकेशनल सोसाइटी बनाम भारत संघ (2014) 7 एस. सी. सी. 701 में, न्यायालय ने विनोद कपूर बनाम गोवा राज्य (2012) 12 एस. सी. सी. 378 में निर्णय का उल्लेख किया और राय दी।

इस प्रकारः (एस. सी. सी पी. 706, पैरा 16)

उच्च न्यायालय के समक्ष पुनरीक्षण याचिका का उपाय समाप्त होने के बाद एक बार फिर विशेष अनुमति याचिका दायर करने की अनुमति, वही बनाए रखने योग्य नहीं है "।

10. दुर्गा शंकर मेहता में संविधान पीठ के फैसले और बुसा ओवरसीज में कई अन्य फैसलों पर विचार करने के बाद, अदालत ने कहा कि स्थिरता न्याय के प्रशासन की आधारशिला है और अदालतों ने एक सिद्धांत विकसित किया है कि यदि मूल निर्णय पर हमला नहीं किया जाता है और चुनौती केवल समीक्षा में पारित आदेश के लिए है, तो सर्वोच्च न्यायालय ऐसी विशेष अनुमति याचिकाओं पर विचार नहीं करने के लिए बाध्य है। बुसा ओवरसीज के पैराग्राफ (30) और (31) में, सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित कियाः

" 30. विशेष अनुमति याचिका या उस मामले की अपील की स्थिरता से संबंधित निर्णयों को स्पष्ट रूप से समझना होगा। हालांकि शंकर मोतीराम नाले शिओलालसिंह में निर्णय में

राजपूत (1994) 2 एस. सी. सी. 753 का उल्लेख करते हुए, दो-न्यायाधीशों की पीठ ने सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 47 नियम 7 का उल्लेख किया, जो समीक्षा को अस्वीकार करने वाले अदालत के आदेश के खिलाफ अपील को रोकता है, यह समझ में नहीं आता है कि अदालत ने संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत पूर्ण अधिकार क्षेत्र में कटौती की है।

5 बुसा ओवरसीज एंड प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड और एक अन्य v. भारत संघ और एक अन्य (2016) 4 एस. सी. सी. 696 6 दुर्गा शंकर मेहता बनाम। ठाकुर रघुराज सिंह और अन्य (1955) 1 एससीआर 267 1 बुसा ओवरसीज एंड प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड और एक अन्य बनाम। भारत संघ और दूसरा (2016) 4 एस. सी. सी. 696 [2020] 4 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

दो दशकों से अधिक समय से और हम यह सोचने के लिए तैयार हैं कि उक्त मिसाल द्वारा निर्देशित नहीं होने की शायद ही कोई आवश्यकता है। 31. इस संदर्भ में, हम ए. पी. राज्य से एक परिच्छेद को लाभप्रद रूप से पुनः प्रस्तुत कर सकते हैं। ए. पी. जयस्वाल (2001) 1 एस. सी. सी. 748, जिसमें तीन न्यायाधीशों की पीठ ने इस प्रकार टिप्पणी की हैः (एस. सी. सी पी. 761, पैरा 24)

" 24. निरंतरता न्याय के प्रशासन की आधारशिला है। यह निरंतरता है जो प्रणाली में विश्वास पैदा करती है और यह निरंतरता अंतिमता के नियम के सम्मान के बिना कभी भी प्राप्त नहीं की जा सकती है। यह न्यायिक निर्णयों में निरंतरता प्राप्त करने के लिए है, अदालतों ने नियम विकसित किया है

पूर्ववर्ती, टकटकी निर्णय का सिद्धांत, आदि। ये नियम और

सिद्धांत सार्वजनिक नीति पर आधारित होते हैं।

उच्चतम न्यायालय ने माना कि निर्णय में दिया गया

तुंगभद्रा इंडस्ट्रीज लिमिटेड 'सही नहीं है।

11. यह विद्वान महान्यायवादी द्वारा प्रस्तुत किया गया था और

प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील ने कहा कि पहले की एसएलपी पर विस्तार से सुनवाई की गई थी और उसके बाद, एसएलपी को खारिज कर दिया गया क्योंकि मामलों में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं था। एसएलपी को खारिज करने के बाद और स्वतंत्रता की मांग किए बिना, याचिकाकर्ता इसके बाद पुनर्विचार याचिका दायर की गई।

12. हमारे सुविचारित विचार में, अस्वीकार करने के आदेश के खिलाफ इन एसएलपी की रखरखाव के सवाल में जाना आवश्यक नहीं है। पूर्ववर्ती एस. एल. पी. में मुख्य निर्णय की चुनौती को खारिज किए जाने के बाद समीक्षा की गई। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, इस मामले में अधिनियम की धारा 37 के तहत उच्च न्यायालय के फैसले को इसके समक्ष चुनौती दी गई थी

पक्षकारसभक वरिष्ठ वकीलकेँ सुनलाक बाद सर्वोच्च न्यायालय आ एसएलपीकेँ सर्वोच्च न्यायालय द्वारा खारिज कऽ देल गेल छल।

8 बुसा ओवरसीज एंड प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड और एक अन्य v. भारत संघ और एक अन्य (2016) 4 एस. सी. सी. 696 9 9 तुंगभद्रा इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम। आंध्र प्रदेश सरकार का प्रतिनिधित्व वाणिज्यिक कर उपायुक्त, अनंतपुर (1964) 5 एससीआर 174 पटेल इंजीनियरिंग लिमिटेड ने किया।

वी. नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (नीपको)

19.07.2019 . यह ध्यान दिया जाए कि जब पहले के एसएलपी को खारिज कर दिया गया था, तो उच्च न्यायालय के समक्ष समीक्षा दायर करने की कोई स्वतंत्रता नहीं ली गई थी। चाहे जो भी हो, हम इस पहलू में आगे जाने के लिए इच्छुक नहीं हैं।

13. याचिकाकर्ता की ओर से श्री हरीश साल्वे और श्री नीरज किशन कौल, विद्वान वरिष्ठ वकील ने मुख्य रूप से तर्क दिया कि

उच्च न्यायालय के दिनांक 26.02.2019 के फैसले में, उच्च न्यायालय ने संशोधन अधिनियम, 2015 से पहले लागू प्रावधानों को गलत तरीके से लागू किया और उच्च न्यायालय के फैसले में रिकॉर्ड के सामने स्पष्ट त्रुटि है क्योंकि उच्च न्यायालय ने सॉ पाइप्स लिमिटेड और वेस्टर्न गेको इंटरनेशनल लिमिटेड के फैसले पर भरोसा किया, जो अब 23.10.2015 से लागू किए गए संशोधन अधिनियम, 2015 के बाद अच्छा कानून नहीं हैं। यह प्रस्तुत किया जाता है कि उच्च न्यायालय का दिनांकित 26.02.2019 का निर्णय रिकॉर्ड के सामने स्पष्ट त्रुटि से ग्रस्त है और इसलिए, याचिकाकर्ता दिनांकित 26.02.2019 के फैसले की समीक्षा की मांग करने में उचित है और उच्च न्यायालय समीक्षा याचिका को अस्वीकार करने में सही नहीं था। याचिकाकर्ताओं के तर्क के समर्थन में, एच. आर. डी. निगम और सांगयोंग इंजीनियरिंग और

कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड 1 3.

14. श्री तुषार मेहता, विद्वान सॉलिसिटर जनरल और श्री हुज़ेफा अहमदी, विद्वान वरिष्ठ वकील ने प्रस्तुत किया है कि उस समय जब

2019 के पहले के एसएलपी (सी) Nos.13629-13631 की सुनवाई की गई, उन्हें विस्तार से सुना गया और धारा 34 में संशोधन के प्रभाव सहित सभी तर्क भी उठाए गए और उसके बाद ही, पहले के एसएलपी को खारिज कर दिया गया। यह प्रस्तुत किया गया था कि हालांकि दिनांक 1 के आदेश को खारिज करना एक गैर-मौखिक आदेश है, याचिकाकर्ता ने सभी विवादास्पद बिंदुओं को उठाया था, अब आग्रह किया है, और बर्खास्तगी के आदेश का सामना करना पड़ा है, और याचिकाकर्ता को समीक्षा याचिका दायर करके मामले को फिर से शुरू करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

15. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड 1 1 में, सुप्रीम कोर्ट ने

अदालत ने कहा कि संशोधन अधिनियम, 2015 धारा 34 पर लागू होगा। 1 0 तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड बनाम सॉ पाइप्स लिमिटेड (2003) 5 एस. सी. सी. 705 1 1 तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड बनाम। वेस्टर्न गेको इंटरनेशनल लिमिटेड (2014) 9 एससीसी 263

13 सांगयोंग इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड बनाम। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) (2019) 15 एससीसी 131, पैरा No.19 14 भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बनाम कोच्चि क्रिकेट प्राइवेट लिमिटेड और अन्य (2018) 6 एससीसी 287 [2020] 4 एस. सी. आर.

याचिकाएँ जो 23.10.2015 (जिस दिन संशोधन अधिनियम लागू हुआ) के बाद की जाती हैं। वर्तमान मामले में, निश्चित रूप से, मध्यस्थता पुरस्कार दिनांकित होने के बाद, अधिनियम की धारा 34 के तहत आवेदन भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के निर्णय के अनुसार न्यायिक आयुक्त, शिलांग के समक्ष दायर किए गए थे।

16. घरेलू पुरस्कार को अलग रखने के आधार के रूप में पेटेंट की अवैधता को पहली बार सॉ पाइप्स लिमिटेड के फैसले में स्पष्ट किया गया था।

न्यायालय एक घरेलू पुरस्कार पर विचार कर रहा था। इस न्यायालय ने एक व्यापक

1996 के अधिनियम के भाग I में धारा 34 (2) (बी) (ii) में भारत की सार्वजनिक नीति की व्याख्या। अदालत ने माना कि एक पुरस्कार "स्पष्ट रूप से" होगा। अवैध ", यदि यह कानून के मूल प्रावधानों के विपरीत है; या, 1996 अधिनियम के प्रावधान; या, अनुबंध की शर्तें।

17. एसोसिएट बिल्डर्स के बाद के फैसले में, इस न्यायालय ने सार्वजनिक नीति के तहत पेटेंट अवैधता के आधार पर चर्चा की

एक घरेलू पुरस्कार को अलग रखने के लिए। एसोसिएट बिल्डर्स मामले (उपरोक्त) में निर्णय का प्रासंगिक उद्धरण इस प्रकार हैः

" 40. पेटेंट अवैधता

अब हम सार्वजनिक नीति के चौथे प्रमुख पेटेंट पर आते हैं।

अवैधता। यह याद रखना चाहिए कि धारा 34 (2) (बी) के स्पष्टीकरण के तहत, एक पुरस्कार को भारत की सार्वजनिक नीति के साथ टकराव में कहा जाता है यदि पुरस्कार के निर्माण को प्रेरित या प्रभावित किया गया था।

धोखाधड़ी या भ्रष्टाचार से। यह मैदान शायद सबसे पहला आधार है जिस पर इंग्लैंड में अदालतें अंग्रेजी कानून के तहत पुरस्कारों को अलग करती हैं। इस आधार पर जोड़ा गया (1802 में) यह आधार है कि एक मध्यस्थता पुरस्कार को अलग कर दिया जाएगा यदि कानून की कोई त्रुटि थी

मध्यस्थ "। "

42. 1996 के अधिनियम में, इस सिद्धांत को 'पेटेंट अवैधता' सिद्धांत द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है, जिसमें बदले में, तीन उप-शीर्ष शामिल हैं।

42.1 (ए) भारत के मूल कानून का उल्लंघन होगा

जिसके परिणामस्वरूप एक मध्यस्थ पुरस्कार की मृत्यु हो जाती है। यह होना ही चाहिए।

इस अर्थ में समझा गया कि इस तरह की अवैधता की जड़ तक जाना चाहिए

15 भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बनाम कोच्चि क्रिकेट प्राइवेट लिमिटेड और अन्य (2018) 6 एससीसी 287

16 तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड बनाम सॉ पाइप्स लिमिटेड (2003) 5 एससीसी 705 17 एसोसिएट बिल्डर्स बनाम। दिल्ली विकास प्राधिकरण (2015) 3 एस. सी. सी. 49, पैरा 40 से 45।

' एल इंजीनियरिंग लिमिटेड। वी. नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (नीपको)

मामला और तुच्छ प्रकृति का नहीं हो सकता है। यह फिर से वास्तव में एक है

अधिनियम की धारा 28 (1) (ए) का उल्लंघन, जो इस प्रकार है

इसके अंतर्गतः

28. विवाद के सार पर लागू नियम। (1) कहाँ का

मध्यस्थता का स्थान भारत में स्थित है,

(ए) एक अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता के अलावा एक मध्यस्थता में, मध्यस्थ न्यायाधिकरण मूल के अनुसार मध्यस्थता के लिए प्रस्तुत विवाद का फैसला करेगा।

भारत में उस समय लागू कानून;

42.2 (बी) मध्यस्थता अधिनियम के उल्लंघन को ही एक पेटेंट अवैधता माना जाएगा-उदाहरण के लिए यदि कोई मध्यस्थ धारा 31 (3) के उल्लंघन में किसी पुरस्कार के लिए कोई कारण नहीं देता है।

अधिनियम, ऐसा पुरस्कार अलग रखे जाने के लिए उत्तरदायी होगा।

42.3 (ग) समान रूप से, पेटेंट अवैधता का तीसरा उप-शीर्ष वास्तव में मध्यस्थता अधिनियम की धारा 28 (3) का उल्लंघन है, जो कहता है

निम्नानुसारः

28. विवाद के सार पर लागू नियम।

(3) सभी मामलों में, मध्यस्थ न्यायाधिकरण इसके अनुसार निर्णय लेगा। अनुबंध की शर्तों के साथ और लेन-देन पर लागू व्यापार के उपयोगों को ध्यान में रखा जाएगा।

इस अंतिम उल्लंघन को एक चेतावनी के साथ समझा जाना चाहिए। अ.

मध्यस्थ न्यायाधिकरण को अनुबंध की शर्तों के अनुसार निर्णय लेना चाहिए, लेकिन यदि कोई मध्यस्थ अनुबंध की अवधि को उचित तरीके से समझता है, तो इसका मतलब यह नहीं होगा कि पुरस्कार को इस आधार पर अलग किया जा सकता है। अनुबंध की शर्तों का निर्माण मुख्य रूप से एक मध्यस्थ को यह तय करना है कि जब तक मध्यस्थ अनुबंध का इस तरह से अर्थ नहीं निकालता है कि इसे कुछ ऐसा कहा जा सकता है जो कोई निष्पक्ष या उचित व्यक्ति नहीं कर सकता है। (जोर देना

आपूर्ति की गई)

18. विधि आयोग ने अपनी 246 वीं रिपोर्ट 1 में अधिनियम की धारा 34 में खंड (2 ए) को सम्मिलित करके घरेलू डी को अलग रखने के लिए 'पेटेंट अवैधता' के आधार की सिफारिश की। विधि आयोग की रिपोर्ट से चींटी का उद्धरण निकाला गया है

नीचे एनः

पर लेबलः एचटीटीपीः //भारत का विधि आयोग। ठीक है। / रिपोर्ट/रिपोर्ट 246 में।

" यही कारण है कि आयोग ने विशुद्ध रूप से घरेलू पुरस्कारों से निपटने के लिए धारा 34 (2 ए) को जोड़ने की सिफारिश की है, जिसे न्यायालय द्वारा भी दरकिनार किया जा सकता है यदि न्यायालय यह पाता है कि

इस तरह के पुरस्कार को "चेहरे पर दिखाई देने वाली पेटेंट अवैधता" द्वारा दूषित किया जाता है। पुरस्कार से। " संतुलन प्रदान करने और अत्यधिक हस्तक्षेप से बचने के लिए, प्रस्तावित धारा 34 (2 ए) के प्रस्तावित परंतुक में यह स्पष्ट किया गया है कि इस तरह के पुरस्कार को केवल कानून के गलत अनुप्रयोग के आधार पर या

उक्त सिफारिश को प्रभावी बनाने के लिए, यह सुझाव दिया गया था कि: " ((3) उप-धारा (2) में स्पष्टीकरण के बाद, उप-धारा '(2 ए) अंतःस्थापित करें।

अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता को भी न्यायालय द्वारा दरकिनार किया जा सकता है यदि न्यायालय को पता चलता है कि पुरस्कार के सामने पेटेंट अवैधता दिखाई देने से पुरस्कार दूषित हो गया है। बशर्ते कि कोई पुरस्कार केवल कानून के गलत अनुप्रयोग के आधार पर या साक्ष्य की पुनः सराहना करके अलग नहीं किया जाएगा।

मध्यस्थता)। समीक्षा का दायरा ओ. एन. जी. सी. लिमिटेड बनाम में उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित पेटेंट अवैधता मानक पर आधारित है। देखा। पाइप्स लिमिटेड (2003) 5 एस. सी. सी. 705। परंतुक कानून के गलत अनुप्रयोग और साक्ष्य के पुनः मूल्यांकन के लिए अपवाद पैदा करता है, जो पुरस्कारों को अलग करने का आधार नहीं हो सकता है।] " (जोर दिया गया)

पटेल इंजीनियरिंग लिमिटेड। वी. नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (नीपको)

19. विधि आयोग की सिफारिशों के अनुसार, 1996 के अधिनियम को 2016 के अधिनियम 3 द्वारा संशोधित किया गया था, जो डब्ल्यू. ई. एफ. 23.10.2015 से लागू हुआ। घरेलू पुरस्कार को अलग रखने के लिए "पेटेंट अवैधता" के आधार को 1996 के अधिनियम की धारा 34 (2 ए) में वैधानिक बल दिया गया है। "पेटेंट अवैधता" के आधार को लागू नहीं किया जा सकता है

भारत में स्थित अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता। यहां तक कि न्यूयॉर्क कन्वेंशन के तहत एक विदेशी पुरस्कार के मामले में भी, "पेटेंट अवैधता" के आधार को प्रवर्तन का विरोध करने के आधार के रूप में नहीं उठाया जा सकता है, क्योंकि यह आधार 1996 के अधिनियम की धारा 48 में अनुपस्थित है। धारा 34 में नई अंतःस्थापित उप-धारा (2 ए) इस प्रकार हैः

" (2 ए) अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थताओं के अलावा अन्य मध्यस्थताओं से उत्पन्न होने वाले मध्यस्थता पुरस्कार को भी न्यायालय द्वारा दरकिनार किया जा सकता है, यदि न्यायालय को पता चलता है कि पुरस्कार पेटेंट द्वारा दूषित है।

पुरस्कार के चेहरे पर दिखाई देने वाली अवैधताः बशर्ते कि कोई पुरस्कार केवल आधार पर अलग नहीं रखा जाएगा

कानून के गलत अनुप्रयोग या साक्ष्य के पुनर्मूल्यांकन द्वारा।

20. सांगयोंग इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी में

लिमिटेड ", यह न्यायालय एक अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता में पारित एक निर्णय को चुनौती देने पर विचार कर रहा था, अपीलकर्ता-कंपनी कोरिया के कानूनों के तहत पंजीकृत एक विदेशी इकाई, और प्रतिवादी, भारत सरकार के एक उपक्रम के बीच। फैसले के पैराग्राफ (19) में, इस अदालत ने नोट किया कि "सार्वजनिक नीति" को दी गई विस्तृत व्याख्या

सॉ पाइप्स (ऊपर) और वेस्टर्न गेको इंटरनेशनल लिमिटेड 0 मामलों में, जिन्हें समाप्त कर दिया गया था, और "पेटेंट अवैधता" का एक नया आधार पेश किया गया था जो 23.10.2015 पर या उसके बाद की गई धारा 34 के तहत आवेदनों पर लागू होगा। निर्णय के पैराग्राफ (36) और (37) में, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि जहां तक घरेलू पुरस्कारों का संबंध है,

संबंधित, पेटेंट अवैधता का अतिरिक्त आधार अब धारा 34 की उप-धारा (2 ए) के तहत उपलब्ध था। हालांकि, पुरस्कार के चेहरे पर "पेटेंट अवैधता" के आधार पर साक्ष्य की पुनः प्रशंसा की अनुमति नहीं दी गई थी।

21. सांगयोंग इंजीनियरिंग (ऊपर) के पैराग्राफ (39) और (40) में, अदालत ने एसोसिएट के पैराग्राफ (42.2) और (42.3) को दोहराया।

19 सांगयोंग इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड बनाम। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) (2019) 15 एससीसी 131

20 तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड बनाम वेस्टर्न गेको इंटरनेशनल लिमिटेड (2014) 9 एससीसी 263 [2020] 4 एस. सी. आर.

बिल्डर (ऊपर) जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया था कि किसी अनुबंध की शर्तों का निर्माण मुख्य रूप से एक मध्यस्थ को तय करना है, जब तक कि मध्यस्थ किसी अनुबंध का इस तरह से अर्थ नहीं निकालता है कि कोई निष्पक्ष या उचित व्यक्ति इसे नहीं लेगा, अर्थात यदि मध्यस्थ द्वारा लिया गया दृष्टिकोण भी मध्यस्थ द्वारा लिया गया विचार नहीं है। संभावित दृश्य। पैराग्राफ (39) और (40) में, सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया:

" 39. स्पष्ट करने के लिए, एसोसिएट बिल्डर्स का पैरा 42.1 बनाम। दिल्ली विकास प्राधिकरण (2015) 3 एस. सी. सी. 49, अर्थात्, भारत के मूल कानून का केवल उल्लंघन, अब मध्यस्थता पुरस्कार को अलग करने के लिए उपलब्ध आधार नहीं है। एसोसिएट बिल्डर्सवी का पैरा 42.2। हालाँकि, दिल्ली विकास प्राधिकरण (2015) 3 एस. सी. सी. 49 बना रहेगा, क्योंकि यदि कोई मध्यस्थ किसी निर्णय के लिए कोई कारण नहीं देता है और 1996 के अधिनियम की धारा 31 (3) का उल्लंघन करता है, तो यह निश्चित रूप से एक पेटेंट अवैधता के बराबर होगा।

पुरस्कार।

40. संशोधन अधिनियम द्वारा धारा 28 (3) में किया गया परिवर्तन वास्तव में एसोसिएट बिल्डर्स बनाम में पैरा 42.3 से 45 में बताए गए परिवर्तन का अनुसरण करता है। दिल्ली विकास प्राधिकरण (2015) 3 एस. सी. सी. 49, अर्थात्, कि किसी अनुबंध की शर्तों का निर्माण मुख्य रूप से एक मध्यस्थ को तय करना है, जब तक कि मध्यस्थ अनुबंध को इस तरह से नहीं समझता है कि कोई भी निष्पक्ष या उचित व्यक्ति; संक्षेप में, कि मध्यस्थ का दृष्टिकोण लेने के लिए एक संभावित दृष्टिकोण भी नहीं है। इसके अलावा, यदि मध्यस्थ अनुबंध से बाहर भटकता है और उन मामलों से निपटता है जो उसे आवंटित नहीं किए गए हैं, तो वह अधिकार क्षेत्र की त्रुटि करता है। चुनौती का यह आधार अब धारा 34 (2-ए) के तहत जोड़े गए नए आधार के भीतर आएगा। (जोर दिया गया)

22. वर्तमान मामला दो भारतीय संस्थाओं के बीच एक घरेलू पुरस्कार से उत्पन्न होता है। पेटेंट अवैधता का आधार एक घरेलू निर्णय को अलग करने के लिए क़ानून के तहत उपलब्ध एक आधार है, यदि मध्यस्थ का निर्णय विकृत पाया जाता है, या, इतना तर्कहीन है कि कोई भी उचित व्यक्ति उस पर नहीं पहुंचा होता है; या, अनुबंध का निर्माण ऐसा है कि कोई भी निष्पक्ष या उचित व्यक्ति नहीं लेगा; या, कि मध्यस्थ का दृष्टिकोण एक संभावित दृष्टिकोण भी नहीं है।

23. वर्तमान मामले में, उच्च न्यायालय ने एसोसिएटेड बिल्डर्स (उपरोक्त) में अपने दिनांकित 26.02.2019 के फैसले के पैराग्राफ (42) में विस्तार से निर्णय का उल्लेख किया है और सही निष्कर्ष पर पहुंचा है कि एक मध्यस्थ पुरस्कार को धारा 34 के तहत अलग किया जा सकता है यदि यह स्पष्ट रूप से अवैध या विकृत है।

पटेल इंजीनियरिंग लिमिटेड। वी. नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (नीपको)

उच्च न्यायालय का यह निष्कर्ष सांगयोंग इंजीनियरिंग (ऊपर) में इस न्यायालय के फैसले के पैराग्राफ (40) के अनुरूप है।

24. वर्तमान मामले में, उच्च न्यायालय ने पैराग्राफ (51) में कहा है कि कोई भी उचित व्यक्ति किसी अलग निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकता था।

बी. ओ. क्यू. के खंड 2.7 और 3.4 और अनुबंध की शर्तों के खंड 32 (ii) (ए) और 33 (iii) की व्याख्या करते हुए। उपरोक्त खंडों की कोई भी अन्य व्याख्या निश्चित रूप से तर्कहीन और सभी तर्कों की अवहेलना होगी। प्रासंगिक उद्धरण में लिखा हैः

" 51. ..... खंड 33 (iii) में विशेष रूप से यह प्रावधान किया गया है कि "यदि कार्य की ऐसी वस्तुओं के लिए दरें निर्दिष्ट तरीके से निर्धारित नहीं की जा सकती हैं। खंड 33 (ii) में, निष्पादित की जाने वाली ऐसी वस्तुओं की दरों का निर्धारण प्रभारी अभियंता द्वारा वास्तविक और विश्लेषण की गई लागत के आधार पर निम्नलिखित दरों को ध्यान में रखते हुए किया जाएगाः

उपखंड में बताए गए विचलनों के कारण निष्पादित किए जाने वाले कार्यों की ऐसी मदें नीचे बताए गए तरीके से देय होंगी। हमारा दृढ़ विचार है कि बी. ओ. क्यू. के खंड 2.7 और 3.4 और अनुबंध की शर्तों के खंड 32 (ii) (ए) और 33 (iii) की यही एकमात्र संभावित व्याख्या है। कोई भी तर्कसंगत व्यक्ति एक अलग निष्कर्ष पर नहीं पहुंचेगा, जबकि

बी. ओ. क्यू. के खंड 2.7 और 3.4 और अनुबंध की शर्तों के खंड 32 (ii) (ए) और 33 (iii) की व्याख्या करना। उपरोक्त खंडों की कोई भी अन्य व्याख्या निश्चित रूप से तर्कहीन और सभी तर्क की अवज्ञा होगी। (जोर दिया गया)

25. उच्च न्यायालय पैराग्राफ (52) में इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि पुरस्कार में निष्कर्ष अतार्किकता और विकृति के दुष्प्रभाव से ग्रस्त हैं।

और निम्नलिखित रूप में आयोजित किया गयाः

" 52. मध्यस्थ पुरस्कार और विद्वान मध्यस्थ के निष्कर्ष विकृति के दुष्प्रभाव से ग्रस्त हैं। विद्वान मध्यस्थ ने निर्णय पर आने में विभिन्न अप्रासंगिक कारकों को ध्यान में रखा है और निविदा दस्तावेजों के महत्वपूर्ण खंडों को नजरअंदाज कर दिया है

जैसे खंड 2 और विभिन्न उपखंड अर्थात उपखंड 2.1 से 2.8। 7 खंड 2 और खंड 3 के तहत और विभिन्न उपखंडों यानी बी. ओ. क्यू. के खंड 3 के तहत उपखंड 3 से 3 तक, खंड 2 और विभिन्न उपखंडों यानी उपखंड 2 से 2 तक। 7 खंड 2 और खंड 3 और विभिन्न उपखंडों अर्थात उपखंड 3.1 से 3.1 के तहत। 5 "विशेष तकनीकी विनिर्देशों" के खंड 3 के तहत, खंड। 2 , भाग II। विद्वान मध्यस्थ ने एक [2020] 4 एस. सी. आर. को ध्यान में रखा है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

अप्रासंगिक तथ्य यह है कि अस्थायी भुगतान करते समय, प्रारंभिक

3 कि. मी. का लीड काट लिया गया है और यह दर्शाता है कि बी. ओ. क्यू. का खंड 2.7 और 3.4 लागू हैं। अस्थायी भुगतान

यह एक अंतरिम व्यवस्था थी और इससे पहले 07.12.2012 और 08.12.2012 की बैठकें होती थीं जिसमें इस पर विशेष रूप से सहमति होती थी

पक्षकारों के बीच कि एच. ओ. पी., एन. ई. ई. पी. सी. ओ. विवाद को मध्यस्थता के लिए संदर्भित करने के लिए कदम उठाएगा और यह कि मध्यस्थता निर्णय तक, भुगतान बिना किसी वृद्धि के प्रचलित अनंतिम दर के अनुसार किया जाएगा और रेत और पत्थर के परिवहन के लिए देय अंतिम दर मध्यस्थता निर्णय के कार्यान्वयन पर की जाएगी। इस तथ्य के रूप में कि अस्थायी भुगतान द्वारा किया गया था इस मुद्दे को तय करने के लिए 3 किमी की प्रारंभिक बढ़त को कम करना एक अप्रासंगिक तथ्य था। विद्वान मध्यस्थ के निष्कर्ष अप्रासंगिक कारकों को ध्यान में रखते हुए और महत्वपूर्ण खंडों की अनदेखी करके प्राप्त किए गए हैं, जो तर्कहीनता और विकृति के दुष्प्रभाव से ग्रस्त हैं।

यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि विचाराधीन मध्यस्थ पुरस्कार घोषणात्मक मध्यस्थ पुरस्कार हैं और इसमें खंडों की व्याख्या शामिल है। 2.7 और बी. ओ. क्यू. के 3 और अनुबंध की शर्तों के खंड 32 (ii) (ए) और 33 (iii) और विद्वान मध्यस्थ की आवश्यकता थी

व्याख्या के स्थापित नियमों के अनुसार उसी की व्याख्या करें। विद्वान अतिरिक्त उपायुक्त (न्यायिक), शिलांग के विद्वान मध्यस्थ के मध्यस्थता पुरस्कारों को बरकरार रखते हुए निष्कर्ष भी इसी तरह के दोष से पीड़ित हैं। इसलिए हमारा विचार है कि विद्वत अतिरिक्त उपायुक्त (न्यायिक), शिलांग द्वारा मध्यस्थता मामला संख्या 5 (टी) 2016, मध्यस्थता मामला संख्या 6 (टी) 2016 और मध्यस्थता मामला संख्या 7 (टी) 2016 के साथ-साथ विद्वत मध्यस्थ द्वारा पारित 3 (तीन) मध्यस्थ पुरस्कारों में पारित सामान्य आदेश इन मामलों में हस्तक्षेप का वारंट देता है।

सेक के तहत अपीलें। 37 मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996।

53. विद्वान अतिरिक्त उपायुक्त (न्यायिक), शिलांग द्वारा पारित दिनांक 27.04.2018 आदेश और विद्वान मध्यस्थ द्वारा पारित दिनांक 29.03.2016 मध्यस्थ पुरस्कारों में हस्तक्षेप करने के अतिरिक्त कारण हैं। जैसा कि अपीलार्थी के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया है, सार्वजनिक खजाने पर मध्यस्थता पुरस्कार का संभावित प्रभाव यह है कि अपीलार्थी, जो एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है, को लगभग रु। 3.56 10 क्यूबिक मीटर रेत या बोल्डर (यात्रा करने वाली 'एल इंजीनियरिंग लिमिटेड') के प्रत्येक ट्रक के लिए लाख।

वी. नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (निपको)

100 किमी के लिए) और कुल संभावित प्रभाव लगभग रु।

1,000 करोड़। हमारा विचार है कि रुपये का भुगतान।

3.56 लाख प्रति ट्रक (10 घन मीटर) रेत या बोल्डर (100 किमी)

दूरी) निश्चित रूप से अन्यायपूर्ण संवर्धन का मामला है जो इसके विपरीत है।

सेक के तहत एक मध्यस्थ पुरस्कार के साथ हस्तक्षेप। 34 (2) अधिनियम से। एंगरलेनर संरचनात्मक और सिविल मामले में बॉम्बे उच्च न्यायालय

इंजीनियरिंग को. वी. बृहन्मुंबई नगर निगम ने जनता की कीमत पर एक पार्टी के अन्यायपूर्ण संवर्धन को मान्यता दी गई

सरकारी खजाने को भारतीय कानून की मौलिक नीति के खिलाफ माना जाता है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया हैः

" यदि ठेकेदारों के तर्क को स्वीकार कर लिया जाता है, तो यह उनकी ओर ले जाता है वे जो हैं उससे कहीं अधिक खुद को समृद्ध कर रहे हैं

हकदार हैं। इस तरह के पूरी तरह से अन्यायपूर्ण संवर्धन, वह भी

इसलिए संवर्धन को भी इस आधार पर दूषित किया जाता है कि यह है भारतीय कानून की मौलिक नीति के खिलाफ।

हमारा यह भी विचार है कि मध्यस्थ पुरस्कार जो

संभावित रूप से उत्तरदाता के अन्यायपूर्ण संवर्धन में परिणाम होगा

लगभग रु। 1,000 करोड़ आधार के खिलाफ है।

भारतीय कानून की नीति और इसलिए, इस पर हस्तक्षेप की आवश्यकता है।

गिनती भी। हालांकि यह अदालत के फैसले पर अपील में नहीं बैठा है

माध्यस्थम न्यायाधिकरण, धारा 34 [2] के तहत आधारों की उपस्थिति

अधिनियम और इस संबंध में इस न्यायालय द्वारा प्राप्त संतुष्टि, हस्तक्षेप की अधिक आवश्यकता है, क्योंकि विचाराधीन मध्यस्थता पुरस्कार

घोषणात्मक मध्यस्थ पुरस्कार हैं और इसकी व्याख्या शामिल है बी. ओ. क्यू. के खंड 2.7 और 3.4 और खंड 32 (ii) (ए) और 33 (iii)

अनुबंध की शर्तों और विद्वान मध्यस्थ का था

स्थापित के अनुसार उसी की व्याख्या करने की आवश्यकता है

व्याख्या के नियम और मौलिक नीति के अनुरूप

भारतीय कानून "।

(जोर दिया गया)

26. भले ही उच्च न्यायालय ने फैसले के पैराग्राफ (44) में

पश्चिमी गेको (ऊपर) [जो [2020] 4 एस. सी. आर. सहित विभिन्न निर्णयों के लिए।

(ऊपर)। 27. हमारे विचार में, अधिनियम की धारा 37 के तहत अपील पर विचार करते हुए, उच्च न्यायालय ने मामले पर विस्तार से विचार किया है, और कहा है कि

कि अनुबंध की शर्तों की व्याख्या करते समय, कोई भी उचित व्यक्ति एक अलग निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकता था और मध्यस्थ द्वारा पारित पुरस्कार अतार्किकता और विकृति के दुष्प्रभाव से ग्रस्त हैं।

28. विद्वान महान्यायवादी श्री तुषार मेहता और

प्रत्यर्थी के वरिष्ठ अधिवक्ता श्री एच. अहमदी ने प्रस्तुत किया कि ये सभी तर्क पहले दौर में उठाए गए थे जब दिनांकित मूल निर्णय को चुनौती दी गई थी। उक्त चुनौती को इस न्यायालय द्वारा पहले के एसएलपी को खारिज करके 19.07.2019 के आदेश के माध्यम से खारिज कर दिया गया था। यह अब उन्हीं आधारों पर समीक्षा याचिका दायर करके मामले को फिर से खोलने के लिए खुला नहीं है, जिन्हें उच्च न्यायालय ने सही ढंग से खारिज कर दिया है। याचिकाकर्ता दिनांकित 26.02.2019 के फैसले में कोई त्रुटि करने में विफल रहा है। उच्च न्यायालय ने दिनांक 10.10.2019 के विवादित आदेश द्वारा समीक्षा याचिकाओं को सही ढंग से खारिज कर दिया और हमें विवादित आदेश में कोई हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं मिला।

29. नतीजतन, सभी विशेष अनुमति याचिकाओं को बिना किसी आदेश के खारिज कर दिया जाता है।

अंकित ज्ञान

विशेष अनुमति याचिकाएं

खारिज कर दी गईं।